छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 347/2008

1. **मो0 वसीम खान,** – *अपीलार्थी*
बध्व भारती स्टोर्स, जामा मस्जिद परिसर,
बाजार पारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 13 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मो0 वसीम खान द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दुर्ग के समक्ष दिनांक 07.01.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.02.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील पर भी सुनवाई नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 25.03.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि शुल्क की सूचना देने पर भी शुल्क जमा नहीं कराने के कारण जानकारी नहीं दी गई है और उन्होंने दिनांक 04.02.2008 को पत्र यू0पी0सी0 से भेजा था, किन्तु अपीलार्थी वह पत्र प्राप्त होना नहीं बता रहे हैं और प्रति अपीलार्थी ने अपने उत्तर के साथ जो यू0पी0सी0 की रसीद प्रस्तुत की है, अपीलार्थी उनको संदेहास्पद बता रहे हैं । चूंकि उनके द्वारा नजदीकी पोस्ट आफिस से यू0पी0सी0 न कराकर दूर के पोस्ट आफिस से कराई गई है, अतः उभय पक्ष की सुनवाई उपरान्त यह आदेश दिये जाते हैं कि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन इस संबंध में कार्यालयीन रिकार्ड और पोस्ट आफिस से यू0पी0सी0 की रसीद के बारे में आवश्यक जॉच करें और जॉच के परिणाम से अपीलार्थी को भी अवगत कराया जावे । प्रकरण में दिनांक 22.10.2008 को जानकारी रजिस्ट्री से भेजी गई है तथा अपीलार्थी द्वारा भी प्राप्त होना स्वीकार किया है तथा अपीलार्थी बिन्दु क्रमांक–3, 4 एवं 5 का उत्तर अस्पष्ट बता रहे हैं, किन्तु दिनांक 04.02.2008 का पत्र जिसकी प्रति अंतिम सुनवाई दिनांक 06.03.2009 को अपीलार्थी को दी गई है, इस संबंध में इन तीनों बिन्दुओं पर भी स्पष्ट उत्तर दिया गया है । अतः प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही तो किया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु यह निर्देश अवश्य दिये जाते हैं कि फिर भी किसी बिन्दुओं पर जानकारी अपीलार्थी को अपूर्ण लगती हो तो संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण प्रति अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को करा दिया जावे और उसमें से यदि कोई जानकारी चाहे तो उन्हें 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 200/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com